



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 28.04.2026

- थाना मूसानगर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए घर में घुसकर चोरी करने वाले वाँछित 01 अभियुक्त को चोरी के ₹5320/- के साथ किया गया गिरफ्तार।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में दिनांक 27.03.2026 को थाना मूसानगर पर वादी श्री संजय सिंह पुत्र सूरज सिंह ग्राम गुढ़ा थाना मूसानगर जनपद कानपुर देहात के द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 0027/2026 धारा 331(4)/305(a) बीएनएस बनाम अज्ञात तथा दिनांक 15.04.2025 तथा वादी श्री रामकुमार पुत्र रामदेव निवासी ग्राम खिरियनपुरवा थाना मूसानगर जनपद कानपुर देहात द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना मूसानगर पर मु0अ0सं0 0036/2026 धारा 331(4)/305(a) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। थाना मूसानगर पुलिस द्वारा उपरोक्त मुकदमों में कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 28.04.2026 को चैकिंग के दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर वाँछित अभियुक्त आवेश कुमार पुत्र प्रहलाद सिंह निवासी ग्राम जुनैदापुर थाना मूसानगर जनपद कानपुर देहात को जुनैदापुर मोड से करीब 50 मीटर जुनैदापुर गांव की तरफ से पुलिस हिरासत में लिया गया तथा जामा तलाशी में अभियुक्त के पास से ₹1200/- थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0036/2026 धारा 331(4)/305(a) बीएनएस से सम्बन्धित व ₹4120/- थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0027/2026 धारा 331(4)/305(a) बीएनएस से सम्बन्धित बरामद किये गये। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उपरोक्त मुकदमों में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. आवेश कुमार उम्र 22 वर्ष पुत्र प्रहलाद सिंह निवासी ग्राम जुनैदापुर थाना मूसानगर जनपद कानपुर देहात।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 0036/2026 धारा 331(4)/305(a)/317(2) बीएनएस थाना मूसानगर जनपद कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0 0027/2026 धारा 331(4)/305(a)/317(2) बीएनएस थाना मूसानगर जनपद कानपुर देहात।
3. मु0अ0सं0 123/2023 धारा 380/411/457 भादवि0 थाना घाटमपुर कमिश्नरेट कानपुर नगर।
4. मु0अ0सं0 157/2023 धारा 380/411/457 भादवि0 थाना घाटमपुर कमिश्नरेट कानपुर नगर।
5. मु0अ0सं0 247/2023 धारा 380/411 भादवि0 थाना घाटमपुर कमिश्नरेट कानपुर नगर।
6. मु0अ0सं0 360/2023 धारा 41/411 भादवि0 थाना घाटमपुर कमिश्नरेट कानपुर नगर।
7. मु0अ0सं0 634/2024 धारा 331(4)/305(a)/317(2) बीएनएस थाना घाटमपुर कमिश्नरेट कानपुर नगर।
8. मु0अ0सं0 14/2025 धारा 305(a)/317(2) बीएनएस थाना घाटमपुर कमिश्नरेट कानपुर नगर।

बरामदगी-

1. ₹1200/- मु0अ0सं0 0036/2026 धारा 331(4)/305(a)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित।
2. ₹4120/- मु0अ0सं0 0027/2026 धारा 331(4)/305(a)/317(2) बीएनएस सम्बन्धित

पूछताछ- पूछताछ करने पर बताया कि मैंने तथा कल्लू अहमद पुत्र मोहम्मद साबिर निवासी ग्राम अतिबलपुर थाना मूसानगर जनपद कानपुर देहात व मोहम्मद जुम्न पुत्र रसूल निवासी ग्राम निबियाखेडा थाना सजेती जनपद कानपुर नगर एक ऑटो से जाकर दिनांक 26/27.03.2026 की रात्रि में ग्राम गुढ़ा में एक घर से मोबाइल जेवरात व रुपये चोरी किये थे। चोरी किये गये रुपये, जेवरात व

मोबाइल में से मैंने कल्लू अहमद व मोहम्मद जुम्न को ₹16000-16000/- दिये थे तथा दिनांक 06/07.04.2026 की रात्रि में ग्राम खिरियनपुरवा से हम लोगो ने फिर से एक घर से मोबाइल व दूसरे घर से ₹5,000/- चोरी किये थे। जिसमे कल्लू अहमद के हिस्से में मोबाइल मिला था तथा मोहम्मद जुम्न के हिस्से मे ₹1200/- मिले थे जिनको मैंने उन्हें दे दिया था तथा जो मेरे पास रुपये मिले है उनमें से जो ₹1200/- ग्राम खिरियनपुरवा की चोरी के हैं तथा जो ₹4120/- ग्राम गुढा की चोरी के बचे हुये रुपये है। पकड़े गये अभियुक्त आवेश कुमार से दो अज्ञात व्यक्तियो व ऑटो के सम्बन्ध मे पूछताछ की गयी तो बताया कि साहब मैंने ऑटो को किराये पर लिया था तथा आटो चालक व आटो पर बैठे उसके साथी को यह बताया था कि मेरे रिश्तेदार बीमार है, ऑटो चालक व ऑटो पर बैठे व्यक्ति को मैं नहीं जानता था। ऑटो चालक को किराये के रुपये देकर वापस कर दिया था।

गिरफ्तार करने वाली थाना मूसानगर पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री अवनीश कुमार वर्मा
- 2.उ0नि0 श्री सुनील कुमार वर्मा
- 3.हे0का0 486 प्रमोद कुमार
4. का0 877 सत्यवीर सिंह